न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 99/2010 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. कालु पिता श्री बीजीया उर्फ बिजदीया, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. पुनीया पिता श्री बीजीया उर्फ बिजदीया, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. धनीया पिता श्री बीजीया उर्फ बिजदीया, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती जोखना पत्नी श्री बीजीया उर्फ बिजदीया, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. चुनिया पिता श्री धानु, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. मडसीया पिता श्री धानु, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती हुडी पत्नी श्री धानु, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (मृतक) नाम तर्क
4. हवसिंग पिता श्री पारसिंग, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. मृतक समसु पिता श्री रामा, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के बजाय :–

5/1. वारजी पिता श्री समसु, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/2. धारजी पिता श्री समसु, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/3. हिरमल पिता श्री समसु, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/4. श्रीमती झीथा पत्नी श्री समसु, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. मृतक हड़िया उर्फ हरीराम, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के बजाय :–

6/1. हिरजी पिता श्री हड़िया उर्फ हरीराम, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6/2. दिनेश पिता श्री हड़िया उर्फ हरीराम, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6/3. सुरेश पिता श्री हड़िया उर्फ हरीराम, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6/4. अन्नु पिता श्री हड़िया उर्फ हरीराम, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6/5. महेश पिता श्री हड़िया उर्फ हरीराम, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6/6. नरेश पिता श्री हड़िया उर्फ हरीराम, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6/7. उमेश पिता श्री हड़िया उर्फ हरीराम, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6/8. भुजो पिता श्री हड़िया उर्फ हरीराम, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6/9. श्रीमती रतन बेवा श्री हड़िया उर्फ हरीराम, जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. रमेश पिता श्री खोमा जाति भील, निवासी कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये राजस्व प्रतिनिधि तहसीलदार, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़
दिनांक 20.04.2010, प्र.सं. 114/2005

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8

———::———

निर्णय **दिनांक 19–02–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 63 (4), 92 (ए) व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम

काचला में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की भूमियां स्थित होकर वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रृक भूमियां हैं तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य हैं एवं वादीगण अपने हिस्से पर काबिज हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है, जिसमें मूलपुरूष छोकला जी होकर उनके तीन पुत्र रामा, राणजी व देवा हुए। रामा के समसु व हडिया हुए। राणजी के तीन पुत्र भूरा, बीजया उर्फ बीजदिया व थानु हुए तथा देवा के खुमा व खुमा के रमेश हुआ। भूरा के पारसिंह व पारसिंग के हवसिंग हुआ। बीजिया के वारिस पत्नी जोखनी व पुत्र कालु, पुनीया व धनीया हुए तथा थानू के वारिस पत्नी हुडी व पुत्र चुनीया व मडसीया हुए जो वादीगण हैं। उक्त भूमियां वादीगण के पिता व पति धथू व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त श्रम से नोतोड़ निकाली हैं। उक्त भूमियों में रामा का 1/2 तथा बिजिया उर्फ बीजदीया तथा थानू का शामिल में 1/2 हिस्सा था एवं उसी अनुसार वादीगण काबिज हैं। भूरा व देवा का परिवार अलग रहता था तथा उनकी जमीन अलग से इन भूमियों में भूरा व देवा के परिवार का कोई हक व अधिकार नहीं है। सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण के पिता थानू से बड़े भाई बीजिया उर्फ बीजदिया का नाम कर्ता खानदान होने से दर्ज हो गया। वादीगण के पिता थानू का नाम दर्ज नहीं होने से थानू की मृत्यु के बाद वादीगण का नाम दर्ज नहीं हो सका, जिससे प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया तथा भूमि वादीगण के नाम दर्ज कराने को कहने पर आनाकानी करते हैं। निवेदन किया कि वादगस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6, 7 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे तथा मौके पर विभाजन कराया जावे एवं थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हैं।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण वाद झूठा है तथा सजरा गलत प्रस्तुत किया है। प्रकरण में छोकला का एक अन्य पुत्र वागा भी है तथा वादी की वारिस कड़कीया तथा पुना जीवित हैं, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। वादीगण का विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है।

प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार 6 तनकियात कायत की गयी :–

1. क्या ग्राम कांचला प.ह. कसारवाड़ी की भूमि खसरा नंबर 52, 68, 69, 70 कुल खेत 4 कुल रकबा 1.70 एकड़ वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रृक होकर मौके पर पैत्रृक विभाजनों से काश्त करते हैं ? ..... वादीगण

2. क्या वाद की चरण संख्या 2 में दर्ज वंशावली अनुसार भूरा एवं देवा का परिवार अलग रहता था तथा उनकी निकाली जमीन अलग से है, इसलिए प्रतिवादीगण रमेश एवं हवसिंग का उक्त खेतों में कोई हक नहीं है ? ..... वादीगण

3. क्या वादीगण का मूल सर्वे नंबर 68 कुंआ वाला (अब सर्वे नंबर 68/1) में रकबा 0.33 एकड़ दक्षिण तरफ व सर्वे नंबर 52 रकबा 0.8 एकड़ पश्चिम तरफ वादीगण का मौके पर भौतिक तौर पर खुला मालिकाना आधिपत्य अपने पति थानू के समय से 45 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है ? ..... वादीगण

4. क्या रामा एवं बिजिया के मरने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6, 7 ने सर्वे नंबर 68/1 एवं 52 अपने नाम दर्ज करा कर बंटवाड़ा करा लिया तथा वादीगण को नहीं सुना गया जो अवैध है ? ..... वादीगण

5. क्या सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2015 अनुसार विवादग्रस्त भूमि मूल पुरूष रामा पिता चौखला एवं बिजदीया पिता राणजी के नाम दर्ज रेकार्ड होने से उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपने हिस्से पर हैं ? ..... प्रतिवादीगण

6. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर दिनांक 20–04–2010 को वादीगण का वाद डिक्री कर वादीगण को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 25–05–2010 को पेश की की गयी है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3, 4, 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल रज्जाक ने अपनी उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना

अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की मृत्यु हो जाने से उसका नाम तर्क किया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 की मृत्यु हो जाने के कारण उनके कायम मुकामात संस्थित किये गये।

दिनांक 16–02–2018 को दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया तथा रेस्पोन्डेन्टगण भी अनुपस्थित रहे। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का विवेचन विधि एवं तथ्यों के विपरीत किया है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में करने में भूल की है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पैत्रृक होना बताया है, लेकिन इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वाद डिक्री कर दिया है, जबकि जो मुख्य गवाह प्रस्तुत हुए हैं वे संवत् 2015 में पैदा ही नहीं हुए थे। इसके अलावा छोकला के एक पुत्र और वागा भी था, जिसके वारिस कडकीया व पुना होकर अभी जीवित हैं, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 2 का कोई विवेचन नहीं किया है तथा तनकी नंबर 3 का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में करने में भूल की है। दस्तावेज प्रदर्श 7 जो अनरजिस्टर्ड है, उस पर विश्वास करके अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अपीलान्ट/प्रतिवादी पी.डब्ल्यू.1 के जिरह से यह स्पष्ट है कि उनसे कोई राजीनामा नहीं किया है एवं वादीगण का नाम खाते में चढ़ाने की कोई स्वीकृति नहीं दी है तथा स्टाम्प कौन खरीदकर लाया उसे पता नहीं, स्टाम्प उन्हें पढ़कर सुनाया गया एवं स्टाम्प पर क्या लिख उसे पता नहीं। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 4 का निर्णय भी त्रुटि पूर्ण किया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 5 का निर्णय भी त्रुटि पूर्ण किया है। वाद पत्र विचारण के दौरान जुलाई 2007 में प्रतिवादी संख्या 7 हडिया

की मृत्यु हो गयी, जिसने वारिसान को रेकार्ड पर लिये बिना ही वाद डिक्री कर दिया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद मौखिक साक्ष्यों एवं एक राजीनामा प्रदर्श 7 के आधार पर डिक्री किया है। प्रदर्श 7 के संबंध में कूल डी.डब्ल्यू.1 ने अपने बयानों के जिरह में कथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज रामा, बिसिया व थानू शामिल में रहते थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 का निर्णय मौखिक साक्ष्यों एवं आपसी सहमति के आधार पर किया है। यदि कोई राजीनामा हुआ है तो उसका संविदा निस्पादन सक्षम न्यायालय से करवाया जाना चाहिए। मौखिक साक्ष्यों में भी ऐसी कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर भूमियां मौरूसी प्रमाणित होती हों। वैसे भी इस प्रकरण में भूमि मौरूसी होने बाबत् कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के पास भूमियां मौरूसी माने जाने का कोई आधार नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 2 का कोई निर्णय नहीं किया है, जबकि इस बाबत् साक्ष्यों से भूमि को जब वादीगण मौरूसी कहकर आता है तो फिर अन्य वारिसान को भी पक्षकार बनाया जाना वांछनीय होता है, जो कि वादीगण द्वारा नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूलतः वादीगण का वाद मौखिक साक्ष्यों के आधार पर डिक्री किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है। प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तनकी नंबर 1 ही है, जिसका निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवेचन अनुसार तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण किया गया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–04–2010 अपास्त की जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** .....

कालु पिता श्री बीजिया उर्फ बिजदिया, जाति भील, नि0 कांचला कसारवाड़ी, त. कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **चुनीया पिता श्री धानु जाति भील, नि0 कांचला कसारवाड़ी, तहसील कुशलगढ़, जि॰ बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं॰.....**99 / 2010**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **कुशलगढ़** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....20**.....माह.....**04**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**....माह.....**02**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**....मिनजानिब अपीलान्ट व ..... **राजकीय अभिभाषक**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–04–2010 अपास्त की जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**02**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।